भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **3027**

दिनांक 12 मार्च , 2020 / 22 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

घरेलू विमान यात्रियों में वृद्धि

3027. श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की घरेलू विमान यात्रियों की संख्या में 2018 में 18.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जो कम होकर 2019 में 3.74 प्रतिशत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त धीमी वृद्धि दर के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अपनी वायु यातायात सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए रोड मैप विकसित करने हेतु अन्य देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में घरेलू विमान यात्री संख्या में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ): भारतीय घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या गत वर्ष अर्थात 2018 में 138,698,284 की तुलना में कलेंडर वर्ष 2019 में 143,736,256 है। वृद्धि दर 2018 में 18.77 प्रतिशत की तुलना में 2019 में 3.63 प्रतिशत है। धीमी वृद्धि के कारणों में निम्नलिखित शामिल है:
(i) समग्र वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की वजह से यात्रा की मांग में कमी।
(ii) वैश्विक विमानन मांग में गिरावट का अप्रत्यक्ष प्रभाव।

(iii) परिवर्तनकाल (ट्रांजिशन) अवधि के दौरान एक अनुसूचित एयरलाइन प्रचालक के विमानों को सेवा से हटाने का अल्पावधिक प्रभाव।

सरकार एयरलाइन कम्पनियों के सामने खड़ी वित्तीय कठिनाइयों के प्रति सजग है। तदनुसार, सरकार उद्योग की स्थितियों पर निरंतर प्रतिक्रियाशील रही है और इस सेक्टर की वृद्धि को सुगम और सक्षम बनाने के लिए विनिर्दिष्ट उपाय कर रही है। नागर विमानन सेक्टर की सहायता के लिए इस मंत्रालय द्वारा किए गए प्रमुख उपायों में शामिल हैं:

I. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और निजी प्रचालकों के ज़रिये हवाईअड्डा अवसंरचना प्रदान करना।
II. देश में कुशल विमान दिक्कचालन प्रणाली प्रदान करना।
III. नागर विमानन महानिदेशालय के ज़रिये विमानन उद्योग को विनियमित करना ताकि सुरक्षा मानक सुनिश्चित किए जा सकें।
IV. सभी स्टेकधारकों के साथ समन्वयन ताकि वे अपने मसले नियमित बातचीत के ज़रिये सुलझा सकें।
V. उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) – क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस) के अंतर्गत योजना दस्तावेज़ के अनुसार चयनित एयरलाइन प्रचालकों को व्यावहार्यता अंतर वित्त पोषण और अन्य रियायतें प्रदान करना।
VI. अनुमोदित योजना के अनुसार, एअर इंडिया को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
VII. 11 अक्तूबर 2018 से विमानन टर्बाइन ईंधन पर लागू, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर को 14 प्रतिशत से कम करके 11 प्रतिशत कम करना।
VIII. माल एवं सेवा कर प्रावधानों का युक्तिकरण।
IX. राष्ट्रीय नागर विमानन नीति – 2016 में दिये गए मानदंड के आधार पर मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अंतर्गत श्रेणी-I मार्गों का युक्तिकरण।
X. 5/20 की अपेक्षा को संशोधित कर दिया गया है और सभी एयरलाइनें अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन आरंभ कर सकती हैं बशर्ते कि वे 20 विमान अथवा अपनी कुल क्षमता का 20 प्रतिशत (सभी प्रस्थानों को मिलाकर सीटों की औसत संख्या के संदर्भ में) इनमें से जो भी अधिक हो, अंतर्देशीय परिचालन हेतु तैनात करें।
XI. हवाई सेवा समझौतों के ढाचे के भीतर, भारत में अंतर्देशीय कोड शेयर पॉइंट्स का उदारीकरण।
XII. मौजूदा हवाईअड्डों को आधुनिक बनाने के दृष्टिगत ताकि उच्च मानक स्थापित किये जा सकें और उन पर माँग का दबाव कम किया जा सके, ब्राउनफ़ील्ड हवाईअड्डा परियोजनाओं के स्वचालित मार्ग में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) की अनुमति दी गई है। इससे अंतर्देशीय विमानन अवसंरचना का विकास सुगम हो जाएगा। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत, अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा/ अनुसूचित अंतर्देशीय यात्री एयरलाइन के लिए 49 प्रतिशत तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत एफ़डीआई की अनुमति निरंतर बनी रहेगी। विदेशी एयरलाइनों को अपनी प्रदत्त पूँजी में से 49 प्रतिशत की सीमा तक भारतीय कंपनियों की पूँजी में निवेश करने की अनुमति है जो अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं का प्रचालन कर रही हैं। ऐसा निवेश, अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त पर निर्भर करता है कि अनुसूचित और गैर-अनुसूचित प्रचालक परमिट केवल उसी कंपनी को दिया जाएगा जिसका पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण, भारतीय राष्ट्रिकों के पास है।

अबाध हवाई दिक्चालन सेवाएं मुहैया कराने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), जो विमान दिक्चालन सेवाओं (हवाई यातायात सेवाओं सहित) का सेवा प्रदाता है, ने पड़ोसी देशों के साथ समन्वय किया है।

*****